

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक: 15.10.2006

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2023-24

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें



कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता
.....
.....



दिनांक

निविदा पत्र का उपर्युक्त डिक्टेटर
M.M.S.S.K. Ambikapur

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम-केरता

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा वर्ष 2023-24

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम :
2. पता :
3. मोबाईल नं.
4. ई-मेल आई.डी.
5. जी.एस.टी. नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)
6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)
7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक : (छायाप्रति संलग्न करें)
8. वैधता की तिथि
9. बैंक का नाम
10. खाता क्रमांक
11. ई.एम.डी. जमा राशि	: शब्दों में
12. यू.टी.आर. नम्बर
13. कारखाने का बैंक एवं शाखा: (जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)

निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर



क्रेडिट नहीं मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।

7. बॉयलर हाउस से राखड़ को हटाने के लिए लगाए गये मजदूरों का बीमा अनिवार्य है।
8. राखड़ को नर्सरी में वॉच टावर के पास चीफ इंजीनियर/चीफ केमिस्ट/गन्ना विभाग के अधिकारी के बताये गये स्थान पर सुव्यवस्थित स्थान पर रखना होगा। उसके अलावा अन्य किसी स्थान या रास्ते में डाले जाने पर या गिर जाने पर 20,000 रुपये (बीस हजार) की राशि कटौती की जायेगी।
9. राखड़ के लिए प्रत्येक पाली में बायलर के नीचे चार मजदुर एवं E.S.P के नीचे चार मजदुर रखना अनिवार्य है।
10. ब्यायलर के नीचे एवं E.S.P के नीचे एवं राखड़ में नियमित रूप से पानी मारते रहना अनिवार्य होगा।
11. राखड़ में प्रत्येक पाली में मजदूर एवं ट्रैक्टर नहीं पाये जाने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. बॉयलर हाउस और E.S.P फ्लोर के नीचे एवं आस-पास नियमित रूप से सफाई करना अनिवार्य है।
13. आई.डी. एफ.डी. एवं चिमनी R.O के आस-पास और बॉयलर के आस-पास का रास्ता नियमित रूप से सफाई करना अनिवार्य होगा। अगर किसी कारण सफाई नहीं हुआ तो उस दिन का भुगतान नहीं किया जायगा।
14. राखड़ हैण्डलिंग के लिए प्रत्येक पाली में 02 ट्रैक्टर/02 ड्राईवर रखना अनिवार्य होगा। नहीं पाये जाने पर उस दिन की राशि भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. आवश्यकता पड़ने पर लाईम ETP को पहुंचाने का कार्य करना आपको अनिवार्य होगा।



16. राखड़ हैण्डलिंग कार्य की देख-रेख हेतु एक सुपरवाइजर रखना अनिवार्य होगा जिसको कार्य का रिपोर्टिंग बॉयलर इंचार्ज एवं शिफ्ट इंजीनियर को देना अनिवार्य होगा।
17. राखड़ निर्धारित जगह पर अलग-अलग क्रमानुसार सुव्यवस्थित रूप से रखना अनिवार्य होगा, गन्ना विभाग के अधिकारी के स्वीकृति के बाद ही बिल का भुगतान किया जायेगा।
18. निर्धारित स्थान पर आवश्यकतानुसार राखड़ को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु प्रत्येक पाली में आवश्यकतानुसार मजदूर रखना अनिवार्य होगा।
19. अपने मजदूरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
20. प्रत्येक मजदूर को हेलमेट, सेफटी शुज, गॉगल, युनिफार्म, मास्क एवं ठेकेदार के साईन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
21. राखड़ प्रत्येक पाली के अनुसार अपने मजदूरों का हाजरी का मार्टर अपने सुपरवाइजर द्वारा रखना अनिवार्य होगा जिसमें प्रति पाली प्रति दिन बॉयलर इंचार्ज/शिफ्ट इंजीनियर/चीफ इंजीनियर का साईन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।
22. कारखाना प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
23. किसी भी प्रकार का वाद की रिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
24. अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/ प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कायदिश निरस्त करने सम्बंधी पूर्ण अधिकार होगा।



निविदाकार ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं.....फर्म.....पिता का नाम
 प्रतिनिधि का नाम.....पिता का नाम
फर्म का पता.....
मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करेंगा।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कायदिशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संरथा के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रमांकमें राशि रूपये..... दिनांकको संरथा के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो समस्त ई.एम.डी. राशि संरथा के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।



निविदाकार का हस्ताक्षर